

## मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण

क. राजकोषीय संकेतक - सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में चल लक्ष्य

(मौजूदा बाजार मूल्य पर)

	संशोधित अनुमान		बजट अनुमान		के लिए लक्ष्य	
	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12
1. राजस्व घाटा	4.4	4.0	0.0	0.0		
2. राजकोषीय घाटा	6.0	5.5	3.0	3.0		
3. सकल कर राजस्व	11.6	11.1	14.4	15.0		
4. वर्ष के अंत में कुल बकाया देनदारियां	59.6	58.2	54.5	51.1		

**टिप्पणी:—**

1. "स.घ.उ." मौजूदा बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद है।
2. "कुल बकाया देनदारियों" में वर्तमान विनिमय दर पर विदेशी सरकारी ऋण शामिल है। अनुमानों के लिए स्थिर विनिमय दरें मानी गई हैं।
3. 2010-11 और 2011-12 के लक्ष्यों की तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को 2010-11 से क्रियान्वित करने के बाद समीक्षा की जाएगी।

1. फरवरी, 2008 में केन्द्र सरकार के बजट प्रस्तुतीकरण के बाद से महत्वपूर्ण आर्थिक तथा बजटीय निहितार्थों के साथ कई घटनाक्रम घटित हुए। उपर्युक्त प्रस्तुत मध्यवधि राजकोषीय दृष्टिकोण से स्पष्ट होता है कि बजट 2008-09 के साथ प्रस्तुत पूर्वानुमानों की तुलना में पर्याप्त परिवर्तन दिखाई दिए। जिन असाधारण परिस्थितियों में ये घटनाक्रम घटित हुए, उन्हें विस्तृत रूप से इस विवरण के साथ राजकोषीय नीति कार्य योजना विवरण और वृहद-आर्थिक रूप रेखा विवरण में स्पष्ट किया गया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था ने सम्बद्ध राजकोषीय वर्ष में विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार का अप्रत्याशित संकट कभी नहीं देखा। मौजूदा राजकोषीय वर्ष के पहले छह महीनों में, पेट्रोलियम उत्पादों सहित विश्व जिंस बाजार में मूल्यों में असाधारण बढ़ोतरी देखी गयी जिसके फलस्वरूप सरकार को अर्थव्यवस्था में स्फीतिकारी दबावों के प्रभाव को कम करने के लिए राजकोषीय और प्रचालनात्मक कदम उठाने पड़े। भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्विक मूल्यों की बढ़ोतरी के प्रभाव को कम करने के लिए जिन विभिन्न उपायों का सहारा लिया गया है, उन्हें राजकोषीय नीति कार्ययोजना विवरण में स्पष्ट किया गया है। इसी प्रकार, सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों विशेष रूप से गरीब तथा किसानों पर मुद्रास्फीति के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए खाद्य तथा उर्वरक सब्सिडियों के लिए उच्च प्रावधान करने का भी निर्णय लिया है। इन उपायों से मुद्रास्फीति को संतुलित स्तर पर लाने में सहायता मिली है।

2. करों/शुल्कों (मुख्यतः अप्रत्यक्ष करों) में बजट पश्च दर कटौतियों और वर्धित सब्सिडी भार के फलस्वरूप अनुमानित राजस्व और राजकोषीय वर्ष के पहली छमाही में राजकोषीय घाटा अपेक्षा से अधिक रहा। तथापि, प्रत्यक्ष कर राजस्व प्राप्तियों से संकेत मिले हैं कि इनमें पहली छमाही (ब.अ. 2008-09 में 17.1 प्रतिशत के अनुमान की तुलना में अर्द्धवार्षिक 2008-09 में 35.6 प्रतिशत बढ़ोतरी) में अनुमानित अधिक्य की तुलना में उच्च बढ़ोतरी देखी गयी, बजट पश्च गतिविधियों की वजह से अप्रत्यक्ष करों तथा अतिरिक्त व्यय वचन बद्धताओं में हुई गिरावट राजकोषीय वर्ष की दूसरी छमाही में कुछ हद तक निष्प्रभावी हो जाएगी। लेकिन मौजूदा राजकोषीय वर्ष की दूसरी छमाही सम्पूर्ण विश्व में वित्तीय व्यवस्था के चरमराने के रूप में एक कठिन समस्या के रूप में सामने आयी। ठोस व्यापक आर्थिक आधारों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था भी सर्वाधिक उभरती बाजार अर्थव्यवस्था की विकास दर में मंदी की वजह से प्रभावित हुई। यह निजी क्षेत्र के उद्योगों द्वारा विदेशी वित्तीय बाजारों में कम मांग पैदा होने की वजह से निर्यात में कमी होने से स्पष्ट है। केन्द्रीय

सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) के अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2008-09 में विकास दर सामान्यतः 7.1 प्रतिशत रही जबकि पिछले चार वर्षों के दौरान प्राप्त औसत लगभग 9 प्रतिशत था। अर्थव्यवस्था को उच्च विकास मार्ग पर रखने के लिए सरकार ने जान बूझकर राजकोषीय नीति का उपयोग वैश्विक वित्तीय संकट के कारण उत्पन्न स्थिति का सामना करने हेतु मांग को बढ़ावा देने के साधन के रूप में किया है। प्राप्तियों तथा व्यय पक्षों पर उठाए गए उपायों के प्रभाव को दृष्टिगत रखने के बाद, राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटा सं.अ. 2008-09 में सं.घ.उ. क्रमशः 4.4 प्रतिशत और 6.0 प्रतिशत होना अनुमानित है। वर्ष 2008-09 के अन्त में स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में बकाया देनदारियां सं.अ. 2008-09 में 59.6 प्रतिशत अनुमानित है। घटे हुए राजकोषीय घाटे सहित पिछले 4 वर्षों में राजकोषीय समेकन एफआरबीएम नियामवली के अधीन अधिदेशित व्यवस्था के अनुरूप है जिसके फलस्वरूप सरकार की कुल देनदारियां स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में 2004-05 में 63.3 प्रतिशत से घटकर 2008-09 में 59.6 प्रतिशत हो गयी। यद्यपि ऋण तथा देनदारियों का यह स्तर अभी भी उच्च है लेकिन एफआरबीएम व्यवस्था के दौरान इस सुधार ने निश्चित तौर पर मौजूदा असाधारण परिस्थितियों के दौरान राजकोषीय नीति को दिशा देने हेतु अतिरिक्त राजकोषीय गुंजाइश रख छोड़ी है।

3. अन्तरिम बजट 2009-10 इसी पृष्ठभूमि में प्रस्तुत किया जा रहा है। अर्थव्यवस्था में विकास में मंदी के चरण में घटे कर/शुल्कों की दरों के जारी रहने से, स.घ.उ. अनुपात के संबंध में सकल कर अनुपात ब.अ. 2009-2010 में 11.1 प्रतिशत गिरना निश्चित है। स.घ.उ. के 15.8 प्रतिशत पर व्यय के बने रहने से 4 प्रतिशत पर राजस्व घाटा और 5.5 प्रतिशत पर राजकोषीय घाटा ब.अ. 2009-10 में थोड़े बहुत सुधार को प्रदर्शित करता है। जबकि यह वर्ष 2008-09 और 2009-10 में मौजूदा दशाओं में सुधार से राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटे के अधिदेशित लक्ष्य की उपलब्धि को नहीं दिखाता, लेकिन राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया के 2010-11 से वापस पटरी पर आने की संभावना है। अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव और वैश्विक परिदृश्य में सुधार के आधार पर स्थिति की समीक्षा की जाएगी और इस सम्बन्ध में पुनः आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

## ख) राजकोषीय संकेतकों में अन्तर्निहित पूर्वानुमान

### 1. राजस्व प्राप्तियां

#### क) कर-राजस्व

4. स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में सकल कर राजस्व एफआरबीएम अधिनियम व्यवस्था के दौरान 2003-04 में 9.2 प्रतिशत से बढ़कर 2007-08 में 12.5 प्रतिशत हो गया। इसके ब.अ. 2008-09 में पुनः सुधार होकर 13 प्रतिशत होने की आशा है। मौजूदा राजकोषीय वर्ष की। पहली छमाही ने पिछले वर्ष की वित्त वर्ष की उसी अवधि की तुलना में सकल कर प्राप्ति में 25.3 प्रतिशत की विकास दर दर्ज की, तथापि, अर्थव्यवस्था के विकास में मंदी और बजट पश्च कर/शुल्क दर कटौतियों के कारण वर्ष 2008-09 में तीसरी तिमाही के दौरान सकल कर प्राप्तियां वर्ष 2007-08 की तीसरी तिमाही की अपेक्षा 11.6 प्रतिशत कम थी। इसकी वजह से चालू राजकोषीय वर्ष की पहली तीन तिमाहियों के दौरान सकल कर प्राप्तियां पिछले वर्ष की इसी अवधि से तुलना करने पर 9.6 प्रतिशत हो गयी। यह संभावना है कि 2008-09 और संशोधित अनुमान 2008-09 के दौरान 6,87,715 करोड़ रुपए के अनुमानित सकल कर राजस्व की उगाही न हो, अतः इनके 6,27,949 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो स.घ.उ. 11.6 प्रतिशत है। यह 2007-08 की तुलना में 5.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। तदनुसार स.अ. 2008-09 में राज्यों को समनुदेशन और केन्द्र का निवल कर राजस्व क्रमशः 1,60,179 करोड़ रुपए और 4,65,970 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। यह अधोमुखी संशोधन मुख्य रूप से अप्रत्यक्ष करों (सीमाशुल्क और संघ उत्पाद शुल्क) में करों/शुल्कों में परिवर्तन और अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण प्रत्यक्ष करों की कम उगाही के कारण है।

5. विश्व अर्थव्यवस्था में व्याप्त अनिश्चितता और 2009-10 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके सम्भावित प्रभाव के मद्देनजर, सकल कर राजस्व में कम वृद्धि होने का अनुमान है और इसके बजट अनुमान 2009-10 में 6,71,293 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो स.घ.उ. का 11.1 प्रतिशत है। यह संशोधित अनुमान 2008-09 की तुलना में 6.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। प्रत्यक्ष कर प्राप्तियों के ब.अ. 2009-10 में 3,80,000 करोड़ रुपए होना अनुमानित है जो सं.अ. 2008-09 की तुलना में 10.1 प्रतिशत और स.घ.उ. के 6.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। प्रत्यक्ष कर ब.अ. 2009-10 में 2,91,293 करोड़ रुपए अनुमानित हैं जो सं.अ. 2008-09 की तुलना में 2.9 प्रतिशत की वृद्धि दिखाते हैं और स.घ.उ. का 4.8 प्रतिशत हैं। सकल कर से सम्बद्ध स.घ.उ. में 2010-11 में

14.4 प्रतिशत से सुधार कर 2011-12 में 15 प्रतिशत होने का पूर्वानुमान है। यह इस आशा के कारण है कि अर्थव्यवस्था ने 2009-2010 के दूसरे सप्ताह से सुधार के संकेत दिए हैं। प्रत्यक्ष कर से सम्बद्ध स.घ.उ. अनुपात के क्रमशः 2010-11 में 8.6 प्रतिशत और 2011-12 में 9.3 प्रतिशत होना का अनुमान है। इसी के साथ प्रत्यक्ष कर से सम्बद्ध स.घ.उ. अनुपात के क्रमशः 2010-2011 में 5.8 प्रतिशत और 2011-12 में 5.7 प्रतिशत होने का पूर्वानुमान है।

6. ब.अ. 2009-10 में राज्यों को सुपुर्दगी तथा केन्द्र का निवल कर राजस्व क्रमशः 1,71,197 करोड़ रुपए और 4,97,596 करोड़ रुपए है जो सं.अ. 2008-09 की तुलना में 6.9 प्रतिशत और 6.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

7. पैरा 'क' की सारणी में दर्शाए गए राजकोषीय संकेतक सामान्य कर उत्प्लावकता पर आधारित हैं और इनमें कोई महत्वपूर्ण अतिरिक्त संसाधन संग्रहण (एआरएम) उपायों की परिकल्पना नहीं की गई है।

### (ख) कर-भिन्न राजस्व

8. कर-भिन्न राजस्व के ब.अ. 2008-09 में 95,785 करोड़ रुपए से बढ़कर सं.अ. 2008-09 में 96,203 करोड़ रुपए और ब.अ. 2009-10 में 1,11,955 करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान है जो 2008-09 और 2009-10 में सकल घरेलू उत्पाद का क्रमशः 1.77 प्रतिशत और 1.86 प्रतिशत है। ब.अ. 2008-09 में 43,204 करोड़ रुपए की तुलना में ब.अ. 2009-10 में 36,985 करोड़ रुपए के लाभांशों और लाभों से प्राप्तियां कर-भिन्न राजस्व का सबसे बड़ा संघटक है।

विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अधीन ऋणों के अतिरिक्त राज्यों को ऋण अदायगी से सम्बन्धित बारहवें वित्त आयोग की सिफारिश पर मुख्य रूप से केन्द्र की वित्तीय मध्यस्थता से असम्बद्धता के कारण, मध्यावधि में राज्यों से ब्याज प्राप्तियों में कमी आने की सम्भावना है। साथ ही प्रोत्साहन से जुड़ी राज्य सरकारों के ऋण की पुनर्संरचना के परिणामस्वरूप कुछ और समय के लिए ब्याज प्राप्तियों में कमी की प्रवृत्ति बनी रहेगी। ब.अ. 2009-10 में दूरसंचार में स्पेक्ट्रम की नीलामी से होने वाली सम्भावित प्राप्तियों को गणना में लेने के कारण कर-भिन्न राजस्व में महत्वपूर्ण वृद्धि दिखाई देती है। मध्यावधि में, कर भिन्न राजस्व में समग्र दृष्टि से आंशिक रूप से सुधार आने की आशा है, परन्तु सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में इसमें उत्तरोत्तर गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई देगी।

### (ग) राज्यों को अन्तरण

9. राजकोषीय सुधारों को बढ़ावा देने के प्रोत्साहन सहित बारहवें वित्त आयोग (टीएफसी) के निर्णय राज्य सरकारों को कराधान सुधारों तथा व्यय प्रबन्धन के साथ त्वरित रूप में राजकोषीय सुधार करने के लिए सक्षम बना रहे हैं। छब्बीस राज्यों ने अपने एफआरबीएम कानून बनाए हैं। जहां तक करों के वहन करने का सम्बन्ध है, सकल कर राजस्व का 30.5 प्रतिशत केन्द्रीय करों/शुल्कों से आता है इसमें बिक्री कर की एवज में चीनी, तम्बाकू तथा कपड़ों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क भी शामिल है, लेकिन इसमें राज्यों को उपकरों, अधिभारों तथा कर संग्रहण का लागत अंतरण शामिल नहीं है। टीएफसी ने यह भी सिफारिश की कि यदि बिक्री कर की एवज में अतिरिक्त शुल्कों के सम्बन्ध में किराया प्रबन्ध को समाप्त किया जाता है तथा राज्यों को इन वस्तुओं पर बिना किसी सीमा निर्धारण के बिक्री कर (अथवा वेट) लगाने की अनुमति दी जाती है, तो हिस्सेदारी योग्य केन्द्रीय करों की निवल प्राप्तियों में राज्यों का भाग घटाकर 29.5 प्रतिशत किया जाएगा। करों तथा शुल्कों में राज्यों का हिस्सा स.अ. 2008-09 में 1,60,179 करोड़ रुपए होने का अनुमान है और इसमें ब.अ. 2009-10 में बढ़ोतरी होकर 1,71,197 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो सं.अ. 2008-09 की तुलना में 6.9 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। बारहवें वित्त आयोग की निर्णय अवधि 2009-2010 में समाप्त हो रही है। इसके बाद के 2010-2015 की अवधि के राज्यों के अंतरण तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों द्वारा अभिशासित होंगे। तेरहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट नवम्बर 2009 तक प्राप्त होने की आशा है।

## 2. पूंजी प्राप्तियां

### (क) ऋणों और अग्रिमों की वसूली

10. पहले दिए गए ऋणों के लिए प्राप्तियों की अदायगी कुछ समय बाद दो कारणों से कम होने का अनुमान है, (i) केन्द्र सरकार का धीरे-धीरे मध्यस्थता से हटना और (ii) बारहवें वित्त आयोग की ऋण समेकन ऋण माफी योजना पिछले कुछ समय से राज्य सरकारों और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को केन्द्र सरकार से उधार लेने की बजाए सीधे बाजार से उधार लेने के लिए प्रोत्साहित किया <http://indiabudget.nic.in>

जा रहा है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों को उच्च लागत वाले ऋणों का पूर्व भुगतान करने की अनुमति दी गई है। केन्द्र सरकार के ऋणों के संबंध में टीएफसी ने अपने निर्णय में ऋण समेकन और ऋण माफी के रूप में राज्य सरकारों को राहत दी है, बशर्ते कि राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून बनाया जाए और उससे संबंधित विनिर्दिष्ट लक्ष्य हासिल किए जाएं। पीएसई से ऋणों की पुनर्अदायगी भी पीएसई की ओर से चूक की वजह से प्रभावित हुई है, जो या तो रुग्ण हैं या बीआईएफआर द्वारा उनका पुनरुद्धार हो रहा है। सं.अ. 2008-09 में ऋणों और अग्रिमों की वसूली 9,698 करोड़ रुपए और ब.अ. 2009-10 में 9,725 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

### (ख) अन्य ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्ति

11. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में सरकारी पण्यधारिता की बिक्री द्वारा विनिवेश आय इस शीर्ष के अधीन प्राप्ति का मुख्य स्रोत रहा है। तथापि, राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना (एनआईएफ) तथा सरकारी इक्विटी की बिक्री से प्राप्त आय का उपयोग सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राजकोषीय घाटा के वित्तपोषण में न करने के निर्णय से भविष्य में नियमित ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्ति की अधिक संभावना नहीं है। राष्ट्रीय निवेश निधि लोक लेखा में है और निधियों का निवेश पेशेवर रूप में प्रबंधन किए जाने वाले चुनिंदा सार्वजनिक क्षेत्र के म्यूचुअल फंडों द्वारा मूल निधि की आय को रिक्त किए बगैर स्थायी प्रतिलाभ प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। निवेश से प्राप्त आय का नियोजन लाभ अर्जन योग्य तथा पुनरुद्धार योग्य केन्द्र सरकार के क्षेत्र के उद्देश्यों की पूंजी निवेश आवश्यकता की पूर्ति हेतु और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोगजार को प्रोत्साहन देने वाली चुनिंदा सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा।

### (ग) उधार - लोक ऋण और अन्य देनदारियां

12. सरकार की उधार लेने की आवश्यकता राजकोषीय घाटा के स्तर द्वारा निर्धारित होती है, जो अनिवार्य रूप से व्यय और केन्द्र सरकार की कुल ऋण-भिन्न प्राप्ति के बीच कवर न किए गए अन्तर को दर्शाता है। इस घाटे का वित्तपोषण मुख्यतः घरेलू लोक ऋण द्वारा और थोड़ी मात्रा में विदेशी ऋण और अन्य आंतरिक देनदारियों या उपयोग के कारण नकदी कमी द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। सरकार बाजार निर्धारित ब्याज दरों पर जुटाए गए संसाधनों द्वारा अपने घाटे के मुख्य भाग का वित्तपोषण कर रही है।

13. केन्द्रीय सरकार के घरेलू ऋण/देनदारियों में शामिल की गई दो अन्य मदें बाजार स्थिरीकरण योजना के तहत एनएसएसएफ में और उधार में निवल अनुवृद्धि हैं। राष्ट्रीय लघु बचत निधि में 80 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक की निवल अनुवृद्धि को इस प्रयोजन के लिए जारी राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश द्वारा 1.4.2007 से अपने विकल्प के अनुसार राज्य सरकार को अंतरित की जाती है। तथापि, केन्द्र सरकार की कुछ देनदारियां हैं और उन्हें शामिल किया जाता है। बाजार स्थिरीकरण स्कीम के तहत बाजार में महत्वपूर्ण विदेशी अंतर्वाहों से मुख्यतया उत्पन्न नकदी की अधिकता कम करने में भारतीय रिजर्व बैंक की सहायता करने के लिए भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच परस्पर सहमत समग्र उच्च सीमा के भीतर भारत सरकार द्वारा जुटाया जाता है। घाटे के वित्तपोषण के स्रोतों का ब्यौरा प्राप्ति बजट में दर्शाया गया है।

## 3. कुल व्यय

### (क) राजस्व खाता

#### (i) योजनागत राजस्व व्यय

14. अर्थव्यवस्था का पुनरुद्धार करने और इसे उच्च विकास मार्ग पर वापस लाने के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु, आयोजना राजस्व व्यय जो ब.अ. 2008-09 में 2,09,767 करोड़ रुपए था, उसे सं.अ. 2008-09 में बढ़ाकर 2,41,656 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यदि 2007-08 के 1,73,572 करोड़ रुपए (अंतिम वास्तविक) के योजनागत राजस्व व्यय से इसकी तुलना की जाए तो लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अब संकेन्द्रण परिव्ययों से हटकर क्रियान्वयन और परिणामों पर होना चाहिए। योजना परिव्यय में यह वृद्धि, मुख्य रूप से शहरी और ग्रामीण अवसंरचना के साथ-साथ सामाजिक क्षेत्र को अधिक आबंटन दिए जाने के कारण हुई है। ब.अ. 2009-10 में <http://indiabudget.nic.in>

2,48,349 करोड़ रुपए का आयोजना राजस्व व्यय है, जो ब.अ. 2008-09 परिव्यय की तुलना में 18.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। राजस्व में गिरावट और वेतन वचनबद्धताएं, ब्याज देनदारियां, सकल रक्षा स्थापना और बड़े अधिग्रहणों, आंतरिक सुरक्षा, पेंशन आदि की पूर्ति सहित आयोजना-भिन्न व्यय के विशिष्ट घटकों पर अधिक देनदारियों के होते हुए भी सभी महत्वपूर्ण विकासात्मक योजनाओं खासकर आम आदमी और समाज के उपेक्षित वर्गों के लाभ के लिए समुचित प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं।

### (ii) योजना-भिन्न राजस्व व्यय

15. योजना-भिन्न राजस्व व्यय के अधिकांश संघटक कठोर प्रकृति के हैं और अल्पावधि में उनमें लचीलापन नहीं होता है। तथापि, चालू वित्त वर्ष में योजना-भिन्न व्यय में देखी गई अप्रत्याशित वृद्धि व्यय के इस संघटक के विकास की गति के स्थायित्व के मुद्दे को केन्द्र बिन्दु बना देता है। योजना-भिन्न राजस्व व्यय जो ब.अ. 2008-09 में 4,48,352 करोड़ रुपए था, बढ़कर सं.अ. 2008-09 में 5,61,790 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। यह 2007-08 में योजना-भिन्न राजस्व व्यय की तुलना में 33.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। ब.अ. 2009-10 में और अधिक बढ़कर 5,99,736 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। यह बढ़ोतरी मुख्यतः छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण अधिक वेतन और पेंशन, सब्सिडियों और ब्याज अदायगी में बढ़ोतरी होने के कारण हुई है। योजना-भिन्न व्यय की मुख्य मंदा नीचे दी गई हैं।

### (iii) ब्याज अदायगियां

16. सं.अ. 2008-09 में 1,92,694 करोड़ रुपए की ब्याज अदायगियां योजना-भिन्न राजस्व व्यय का लगभग 34 प्रतिशत थी और अधिक बढ़कर ब.अ. 2009-10 में योजना-भिन्न राजस्व व्यय का लगभग 38 प्रतिशत हो गया। जिसके और अधिक बढ़कर 2,25,511 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से बढ़े हुए घाटे का वित्तपोषण करने के लिए 2008-09 के दौरान अधिक उधार लेने और तेल विपणन कंपनियों और उर्वरक कंपनियों को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज के कारण हुई। विगत चार वर्षों में राजकोषीय समेकन के कारण केन्द्र सरकार की कुल राजस्व प्राप्ति (निवल) के प्रतिशत के रूप में ब्याज अदायगियों ने उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाई है जो 2003-04 में 47 प्रतिशत से 2007-08 में 31.5 प्रतिशत हो गयी। तथापि, वित्तीय वर्ष 2008-09 के पूर्वार्ध के दौरान घाटा बढ़ने और ब्याज दरों को बढ़ाने के कारण यह अनुपात सं.अ. 2008-09 में घटकर 34.3 प्रतिशत होने तथा ब.अ. 2009-10 में और अधिक गिरकर 37 प्रतिशत होने का अनुमान है। सरकार का प्रयास है कि कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज अदायगी को वहनीय स्तर पर लाया जाए।

### (iv) रक्षा सेवाएँ

17. राजस्व खाते में रक्षा सेवा व्यय का बजट प्रावधान ब.अ. 2008-09 के 57,593 करोड़ रुपए से बढ़ाकर सं.अ. 2008-09 में 73,600 करोड़ रुपए करने का है और इसके अतिरिक्त, छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण ब.अ. 2009-10 में 86,879 करोड़ रुपए करने का है।

### (v) मुख्य सब्सिडियाँ

18. इस वर्ष के दौरान सरकार के सब्सिडी बिल में अप्रत्याशित उछाल देखा गया। ब.अ. 2008-09 में खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम उत्पादों पर प्रमुख सब्सिडियों हेतु प्रावधान 66,537 करोड़ रुपए था; जो सरकार की निवल राजस्व प्राप्ति का 11 प्रतिशत है। तथापि, वैश्विक वस्तु बाजार में बजट पश्च घटनाक्रमों के परिणामस्वरूप पेट्रोलियम उत्पादों और उर्वरकों की आर्थिक लागत में बढ़ोतरी हुई। इन उत्पादों की लागत में हुए अप्रत्याशित उछाल से अंतिम उपभोक्ता को संरक्षण प्रदान करने की नीति के साथ सब्सिडी संघटक प्रावधानों में ठोस रूप से बढ़ोतरी की गई है। उर्वरकों के लिए किए गए सब्सिडी प्रावधानों को ब.अ. 2008-09 के 30,986 करोड़ रुपए से बढ़ाकर सं.अ. 2008-09 में 75,849 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 2008-09 के दौरान उर्वरक कम्पनियों को सब्सिडियों के बदले 20,000 करोड़ रुपए की विशेष प्रतिभूतियां जारी की गई। इस प्रकार, उर्वरक सब्सिडियों के संबंध में कुल 95,849 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसी प्रकार, तेल विपणन कम्पनियों को सब्सिडियों के

बदले में प्रतिभूतियाँ निर्गम करने के 75,942 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ पेट्रोलियम सब्सिडी हेतु कुल प्रावधान ब.अ. 2008-09 के दौरान 2,884 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 78,818 करोड़ रुपए कर दिया गया है। गेहूँ और चावल हेतु वर्धित न्यूनतम समर्थन मूल्य के कारण खाद्य सब्सिडी बिल को ब.अ. 2008-09 के 32,666 करोड़ रुपए से बढ़ाकर सं.अ. 2008-09 में 43,627 करोड़ रुपए करने में योगदान किया है। इस प्रकार, इन तीनों मदों पर, 95,942 करोड़ रुपए की विशेष प्रतिभूतियों सहित, सब्सिडियों हेतु किया गया कुल प्रावधान ब.अ. 2008-09 के 66,537 करोड़ रुपए से बढ़ाकर सं.अ. 2008-09 में 2,18,294 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो स.घ.उ. का लगभग 4 प्रतिशत है। ब्याज और अन्य सब्सिडियों के भी ब.अ. 2008-09 के 4,893 करोड़ रुपए से सं.अ. 2008-09 में बढ़ाकर 6,890 करोड़ रुपए करने का अनुमान है। इस पूर्वानुमान के साथ कि वैश्विक वस्तु बाजार में अगले वित्तीय वर्ष में वर्तमान कीमत का स्तर कायम रह सकता है, ब.अ. 2009-10 में उर्वरक सब्सिडी का प्रावधान 49,980 करोड़ रुपए रखा गया है। ब.अ. 2009-10 में खाद्य सब्सिडी को 42,490 करोड़ रुपए किए जाने का अनुमान है। ब.अ. 2009-10 में कुल सब्सिडी को घटाकर 1,00,932 करोड़ रुपए करने का अनुमान है, जो स.घ.उ. का 1.7 प्रतिशत होगी। मध्यावधि से दीर्घावधि में उपायों और साधनों पर ध्यान देते हुए नीतिगत उद्देश्यों की आवश्यकता है ताकि इस व्यय को भौतिक और सामाजिक आधारभूत संरचना में वर्धित निवेश के लिए और अधिक राजकोषीय गुंजाइश का सृजन करने तक सीमित रखा जाए।

#### (vi) राज्यों को आयोजना-भिन्न अनुदान

19. राज्यों/संघ राज्यो क्षेत्रों को ब.अ. 2008-09 के 43,294 करोड़ रुपए के आयोजना-भिन्न अनुदानों को बढ़ाकर ब.अ. 2009-10 में 46,626 करोड़ रुपए करने का अनुमान है। केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय बिक्री कर को समाप्त किए जाने के कारण होने वाली संभावित राजस्व हानि के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने की वचनबद्धता कायम रखी है। इस प्रयोजन हेतु, ब.अ. 2008-09 के 2450 करोड़ रुपए के प्रावधान के मुकाबले ब.अ. 2009-10 में 6000 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

#### (ख) पूंजी खाता

##### (i) ऋण तथा अग्रिम

20. राज्य सरकारों को दिए जाने वाले ऋण और अग्रिम केन्द्र सरकार द्वारा पहले प्रदान किए गए ऋणों और अग्रिमों के मुख्य संघटक थे। राज्य सरकारों को ऋण के संबंध में, बारहवें वित्त आयोग ने केन्द्र सरकार द्वारा मध्यस्थता न करने अपितु राजकोषीय रूप से कमजोर राज्यों को, जो प्रत्यक्ष रूप से संसाधन जुटाने में असमर्थ हैं, उन्हें सहायता करने की अनुशंसा की थी। राज्य अब सीधे बाजार से ऋण जुटा रहे हैं। विदेशी ऋणों का हालांकि, केन्द्र सरकार के माध्यम से प्राप्त किया जाना जारी है। निवेश के लिए बजटीय सहायता, पुनर्गठन/पुनरुद्धार और स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना/स्वैच्छिक पृथक्कीकरण योजना सहित विभिन्न प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को आयोजना-भिन्न ऋण भी प्रदान किए जा रहे हैं।

##### (ii) पूंजी परिव्यय

21. कुल पूंजी व्यय के ब.अ. 2008-09 के 92765 करोड़ रुपए से बढ़कर सं.अ. 2008-09 में 97,507 करोड़ रुपए और ब.अ. 2009-10 में 1,05,146 करोड़ रुपए होने की संभावना है। इसमें कुल आयोजना-भिन्न पूंजी व्यय सं.अ. 2008-09 में 56,206 करोड़ रुपए और ब.अ. 2009-10 में 68,346 करोड़ रुपए है। रक्षा पूंजी परिव्यय आयोजना-भिन्न पूंजी व्यय का सबसे बड़ा संघटक है और इसके सं.अ. 2008-09 में 41,000 करोड़ रुपए और ब.अ. 2009-10 में 54,824 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

22. आयोजना पूंजी व्यय ब.अ. 2008-09 के 33,619 करोड़ रुपए से बढ़कर सं.अ. 2008-09 में 41,301 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। बजट अनुमान 2009-10 में आयोजना पूंजी व्यय 36,800 करोड़ रुपए अनुमानित है। वर्तमान परिदृश्य में अधिकतर क्षमता वर्धन सरकारी-निजी भागीदारी तरीके के अंतर्गत पूंजी व्यय के रूप में हो रहा है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र <http://indiabudget.nic.in>

के उपक्रम अपने पूंजी व्यय का ज्यादातर भाग आंतरिक और बजट बाह्य संसाधनों से पूरा कर रहे हैं। केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के आंतरिक और बजट बाह्य संसाधन बजट अनुमान 2008-09 में 1,95,531 करोड़ रुपये से 6 प्रतिशत बढ़कर बजट अनुमान 2009-10 में 2,07,241 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

#### 4. सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) वृद्धि

23. वर्ष 2008-09 के दौरान वार्षिक वास्तविक स.घ.उ. वृद्धि (1999-2000 के स्थिर मूल्यों पर) 2007-08 (त्वरित अनुमान) के दौरान 9.1 प्रतिशत की वृद्धि दर की तुलना में कम होकर 7.1 प्रतिशत (अग्रिम अनुमान) होने की संभावना है। इन वर्षों के दौरान वर्तमान बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. की सांकेतिक वृद्धि दरें 14.9 प्रतिशत और 14.4 प्रतिशत हैं। इस प्रकार वर्तमान बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. 2007-08 में 47,23,400 करोड़ रुपये की तुलना में 2008-09 में 54,26,277 करोड़ रुपये है। विश्व अर्थव्यवस्था में विद्यमान अनिश्चितता के कारण 2009-10 में वास्तविक स.घ.उ. वृद्धि 7 प्रतिशत मानी गयी है। मुद्रास्फीति की संभावना को ध्यान में रखने के बाद 2009-10 के लिए (वर्तमान बाजार मूल्यों पर) स.घ.उ. वृद्धि 11 प्रतिशत मानी गयी है। इसलिए 2009-10 के लिए (वर्तमान बाजार मूल्यों पर) स.घ.उ. 60,21,426 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। आगामी दो वर्षों में यह मानते हुए कि अर्थव्यवस्था पुनरुद्धार के लक्षण दिखाने शुरू करेगी, स.घ.उ. वृद्धि क्रमशः 8 और 9 प्रतिशत मानी गयी है। माध्यमिक मुद्रास्फीति की संभावना को ध्यान में रखने के बाद वर्तमान बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. वृद्धि 2010 और 2011-12 के लिए क्रमशः 13 प्रतिशत और 13.4 प्रतिशत अनुमानित है।

#### (ग) निम्नलिखित से संबंधित निरंतरता का मूल्यांकन

##### (i) राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच संतुलन

24. विगत तीन वर्षों में प्रवृत्तियों को उलटते हुए राजस्व व्यय में वृद्धि ने राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि को पछाड़ दिया जिसके परिणाम स्वरूप 2008-09 के संशोधित अनुमान में राजस्व घाटा और बढ़ गया। बजट पश्च घटनाक्रमों के परिणामस्वरूप कर/शुल्क दरें घटी हैं और व्यय की वचनबद्धताएं बढ़ी हैं। वर्ष 2007-08 की तुलना में 2008-09 के संशोधित अनुमान में कुल राजस्व प्राप्तियां (निवल) 3.7 प्रतिशत अनुमानित हैं जबकि 2007-08 की तुलना में 2008-09 के संशोधित अनुमान में राजस्व व्यय 35.1 प्रतिशत अनुमानित है। राजस्व व्यय 2008-09 के बजट अनुमान में स.घ.उ. के 1 प्रतिशत से बढ़कर 2008-09 के संशोधित अनुमान में 4.4 प्रतिशत होने का अनुमान है। राजस्व खाते में यह हास मुख्यतया बढ़ा हुआ सब्सिडी बिल, छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन के कारण बढ़ा हुआ वेतन बिल और मांग बढ़ाने और आर्थिक वृद्धि के चरण को बनाए रखने के लिए लक्षित राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज के कारण है। फ्लैगशिप कार्यक्रमों में बढ़े हुए व्यय का प्रभाव मध्यावधि में दृष्टिगोचर होगा।

25. मौजूदा आर्थिक मंदी की पृष्ठभूमि में स.घ.उ. -सकल कर अनुपात के अगले राजकोषीय वर्ष में सुधरने की संभावना नहीं है। निरंतर अधिक आयोजना परिव्यय और बढ़े हुए वेतन बिल के रूप में अधिक व्यय वचनबद्धताओं के साथ राजस्व घाटा 2009-10 के बजट अनुमान में स.घ.उ. के 4 प्रतिशत होने का अनुमान है। 2009-10 के बजट अनुमान में कुल व्यय स.घ.उ. का 15.8 प्रतिशत अनुमानित है जबकि राजस्व प्राप्तियां गिरकर स.घ.उ. के 10.1 प्रतिशत होने का अनुमान है। क्योंकि आयोजना परिव्यय में कटौती से अर्थव्यवस्था की वृद्धि में और गिरावट के साथ-साथ यह समाज के संवेदनशील वर्गों को आर्थिक मंदी के प्रभाव में अनाश्रित छोड़ देती। इसलिए सरकार ने सचेत निर्णय लिया कि 2008-09 व 2009-10 में राजकोषीय समेकन के मार्ग से अस्थायी रूप से हटकर एफआरबीएम अधिनियम के तहत अधिदेशित तीन प्रतिशत के लक्ष्य से अधिक को समायोजित किया जाए। यह मानते हुए कि 2009-10 के उत्तरार्ध में अर्थव्यवस्था अपनी हाल की उच्च प्रवृत्ति वृद्धि प्राप्त करे, 2010-11 और 2011-12 के अनुमान दर्शाते हैं कि राजकोषीय घाटा तीन प्रतिशत के अधिदेशित स्तर पर लाया जा सकेगा।

##### (ii) उत्पादनकारी प्रवृत्तियों के सृजन हेतु बाजार उधारों सहित पूंजी प्राप्तियों का प्रयोग।

26. वर्ष 2008-09 के संशोधित अनुमान में सामान्यतया विकासात्मक व्यय के साथ चिन्हित 2,82,957 करोड़ रुपये का कुल आयोजना व्यय 3,26,515 करोड़ रुपये के अनुमानित राजस्व घाटे का लगभग 86.7 प्रतिशत है। यह पिछले दो राजकोषीय वर्षों की

स्वस्थ प्रवृत्ति से उल्टाव दर्शाता है जब राजकोषीय घाटा आयोजना व्यय की तुलना में कम था। यह उल्टाव अस्थायी है क्योंकि यह अधिक सब्सिडी व्यय और छोटे केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन के बाद कर्मचारियों और पेंशनरों को 40 प्रतिशत तक बकाया के भुगतान के कारण उत्पन्न हुआ है। लेकिन विकासात्मक व्यय के बड़े घटक को पूरा करने के लिए ऋण द्वारा वित्तपोषण पर निर्भरता मध्यावधि में जारी रहने की संभावना है।

27. राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया बनाए रखने का कार्य विशेषतया राजस्व घाटे की समाप्ति सर्वसम्मति से अधिक चुनौतीपूर्ण है। तेरहवें वित्त आयोग को एक अतिरिक्त विचारार्थ विषय के माध्यम से अधिदेशित किया गया है कि राजकोषीय समंजन के ढांचे की समीक्षा करे और 2010 से 2015 तक खासकर राजकोषीय लेखाकरण में तेल, खाद्य और उर्वरक बांडों के कारण केंद्र सरकार की देनदारियां प्रस्तुत करने की आवश्यकता और राजस्व लक्ष्यों के संबंध में केंद्र सरकार की विभिन्न अन्य देयताओं के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए राजकोषीय समेकन के लाभ बनाए रखने के उचित संशोधित ढांचे का सुझाव दे। मुख्यतया 2004-08 की अवधि के दौरान राजकोषीय समेकन राजस्व चलित था और इसलिए इसने दबाव उत्पन्न कर दिया जब आर्थिक वृद्धि में गिरावट के कारण राजस्व सुदृढ़ता कम हो गई। अब ध्यान व्यय सुधार पर भी होना चाहिए ताकि राजकोषीय समेकन प्रक्रिया बनाने रखने और राजकोषीय समंजन में अंतर-सृजनात्मक इक्विटी उत्पन्न की जा सके।